

**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू**

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 193/2026

बिन्दू कुमार, पता वीपीओ हमीनपुर, तहसील पिलानी, जिला झुंझुनू, पिन कोड 333031, मो० नं० 7690000857

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) सूरजगढ ।

---

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

**दिनांक 20.05.2026**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 193/2026 पर दिनांक 29.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1340-41 दिनांक 30.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) सूरजगढ ने पत्रांक विविध/26/33-34 दिनांक 14.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु अपीलकर्ता बिन्दू कुमार, निवासी हमीनपुर मे तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। प्रकरण मे तहसीलदार, पिलानी के पत्रांक आरटीआई/2026/16 दिनांक 14.05.2026 की जांच रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा संवत् 2079 के मुआवजा राशि स्वीकृत हुई है कि सूचना चाही गई है। राजस्व ग्राम हमीनपुर के खसरा नम्बर 118, 119, 187, 188 के खातेदार भी भालाराम पुत्र रिछपाल, जाति मेघवाल के पुत्र श्री बिन्दू कुमार द्वारा सूचना चाही गई है। प्रार्थी के पिता के आधार नम्बर 349661625348 की DMIS PORTAL पर जांच की गई। प्रार्थी के पिता का आधार नम्बर DMIS PORTAL पर अपलोड नहीं है। DMIS PORTAL खुलने पर प्रार्थी के पिता का आधार नम्बर अपलोड कर दिया जावेगा। तहसीलदार पिलानी द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) सूरजगढ ने पत्रांक विविध/26/33-34 दिनांक 14.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु अपीलकर्ता बिन्दू कुमार, निवासी हमीनपुर मे तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। प्रकरण मे तहसीलदार, पिलानी के पत्रांक आरटीआई/2026/16 दिनांक 14.05.2026 की जांच रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा संवत् 2079 के मुआवजा राशि स्वीकृत हुई है कि सूचना चाही गई है। राजस्व ग्राम हमीनपुर के खसरा नम्बर 118, 119, 187, 188 के खातेदार भी भालाराम पुत्र रिछपाल, जाति मेघवाल के पुत्र श्री बिन्दू कुमार द्वारा सूचना चाही गई है। प्रार्थी के पिता के आधार नम्बर 349661625348 की DMIS PORTAL पर जांच की गई। प्रार्थी के पिता का आधार नम्बर DMIS PORTAL पर अपलोड नहीं है। DMIS PORTAL खुलने पर प्रार्थी के पिता का आधार नम्बर अपलोड कर दिया जावेगा। तहसीलदार पिलानी द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( डॉ० अरूण गर्ग )  
जिला कलक्टर, झुंझुनू